फाइल नं0-71-3099/105/2020-03

131/2023/I/437355/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
हरदोई।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांकः 30 नवम्बर, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–रा0मे0का0ह0/2023-24/1345, दिनांक 02.11.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा जमा की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 4098.77 लाख में से कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 के रूप में जमा की गई धनराशि रू0 5,07,93,051.00 (रू0 पॉच करोड़ सात लाख तिरानवे हजार इक्यावन मात्र(इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जाती है कि प्रधानाचार्य एवं वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, हरदोई द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा जमा की गयी धनराशि का रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नही रखा जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,07,93,051.00 (रुपये पॉच करोड़ सात लाख तिरानवे हजार इक्यावन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058902 मेडिकल कालेज, हरदोई मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या/तददिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।